न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत** (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :- 134/2024

वादीगण :-

1. प्रभुसिंह पुत्र कल्याणसिंह
2. पाबूसिंह पुत्र भैरूसिंह
3. राजूकंवर पुत्री भैरूसिंह
4. बंशीसिंह पुत्र बालूसिंह
5. छगनसिंह पुत्र बालूसिंह
6. छैलसिंह सिसोदिया पुत्र बालूसिंह
7. नरपतसिंह पुत्र बालूसिंह
8. मनोहरसिंह पुत्र तेजसिंह
9. छत्रसिंह पुत्र तेजसिंह
10. ज्योति पुत्री तेजसिंह
11. श्रीमति विद्यादेवी पत्नी तेजसिंह
12. गौरवसिंह पुत्र गणपतसिंह
13. तुषारसिंह पुत्र गणपतसिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमति दुर्गा कंवर पत्नी गणपतसिंह
14. लखनसिंह पुत्र गणपतसिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमति दुर्गाकंवर पत्नी गणपतसिंह
15. श्रीमति दुर्गाकंवर पत्नी गणपतसिंह
16. पृथ्वीसिंह सिसोदिया पुत्र भंवरसिंह
17. मंजूकंवर पुत्री बालूसिंह
18. समुकंवर पुत्री बालूसिंह
19. साउकंवर पुत्री बालूसिंह जातियान दरोगा (रावणा राजपूत) निवासीगण ग्राम रामासनी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. महेन्द्रसिंह पुत्र राधाकिशन जाति दरोगा (रावणा राजपूत) निवासी झालरा बेरा महामंदिर जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर
2. युवांश पुत्र रमेश कुमार नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमति नीतू पत्नी रमेश कुमार जाति दरोगा (रावणा राजपूत) निवासी झालरा बेरा महामंदिर जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर
3. यशस्वी पुत्री रमेश कुमार नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमति नीतू पत्नी रमेश कुमार जाति दरोगा (रावणा राजपूत) निवासी झालरा बेरा महामंदिर जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर
4. श्रीमती नीतू पत्नी रमेश कुमार जाति दरोगा (रावणा राजपूत) निवासी झालरा बेरा महामंदिर जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर
5. श्रीमति उमा पुत्री राधाकिशन पत्नी नरेन्द्रसिंह जाति दरोगा (रावणा राजपूत) निवासी 17 रामेश्वरनगर बासनी प्रथम फेस, जोधपुर जिला जोधपुर
6. प्रेम पत्नी देवाराम जाति जाट निवासी भाटों की ढाणी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :- वादीगण - श्री गणपत लाल चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या-1 से 5 व 7-श्री राजेन्द्र कुमार पटेल एडवोकेट।
प्रतिवादी संख्या -6 सरकारी पैरोकार।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

निर्णय

दिनांक :- 08/09/5

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रामासनी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 173 रकबा 28 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 402 रकबा बीघा 6 बिस्वा. खसरा नम्बर 236 रकबा 23 बीघा 6 बिस्वा कुल खसरा-3

CamScanner

कुल रकबा 61 बीघा 1 बिस्वा आयी हुयी है। उक्त भूमि कल्याण उर्फ कल्याणसिंह पुत्र रामा जाति दरोगा निवासी रामासनी तहसील बिलाड़ा की खातेदारी की थी। खातेदार कल्याण उर्फ कल्याणसिंह का देहान्त संवत् 2029-2030 में हो गया है। पक्षकारों का सजरा खानदान वाद पत्र के पैरा सं. 2 के अनुसार है उपरोक्त सजरा खानदान के अनुसार कल्याण उर्फ कल्याणसिंह पुत्र रामाराम जाति दरोगा (रावणा राजपूत) निवासी रामासनी तहसील बिलाडा के उत्तराधिकारी उनके चार पुत्र प्रभुसिंह, भैरूसिंह, बालूसिह, राधाकिशन है। जिनमें से भैरूसिंह, बालूसिंह, राधाकिशन का देहान्त हो चुका है। भैरूसिंह के उतराधिकारी उसका पुत्र पाबूसिंह व पुत्री राजूकंवर तथा पत्नी नारंगीकंवर है। जिनमें से नारंगी कंवर का देहान्त हो चुका है। इसी प्रकार बालूसिंह के उत्तराधिकारी उसके छः पुत्र बंशीसिंह, छगनसिंह, छैलसिह. नरपतसिंह, तेजसिंह, भंवरसिंह व दो पुत्रीयां समुकंवर, साऊकंवर तथा पत्नी सुआकंवर हैं। जिनमें से तेजसिंह, भंवरसिंह तथा सुआकंवर का देहान्त हो चुका है। तेजसिंह के उतराधिकारी उसके दो पुत्र मनोहरसिंह, छत्रसिंह व पुत्री ज्योति व पत्नी विद्या है। भंवरसिंह के उतराधिकारी उसके दो पुत्र गणपतसिंह, पृथ्वीसिंह व पुत्री मंजूकंवर व पत्नी सुखी देवी है, जिनमें से गणपतसिंह व सुखीदेवी का देहान्त हो चुका है। गणपतसिंह के उतराधिकारी उसके तीन पुत्र गौरवसिंह, तुषार, लखन व पत्नी श्रीमती दुर्गाकवंर है। इसी प्रकार राधाकिशन के उतराधिकारी उसके दो पुत्र महेन्द्रसिंह, रमेश कुमार व पुत्री उमा व पत्नी सूरजकंवर है, जिनमें से रमेशकुमार का देहान्त हो चुका है। रमेश कुमार के उतराधिकारी उसका पुत्र युवांश व पुत्री यशस्वी व पत्नी नीतू है। इस प्रकार खातेदार कल्याण उर्फ कल्याणसिंह जी की खातेदारी अफिम में वादीगण का जन्म से हक व अधिकार निहित है। अभी दो माह पूर्व वादीगण अपनी खातेदारी भूमि का किसान क्रेडिट कार्ड जारी करवाने हेतु हल्का पटवारी के पास जमाबंदी की नकल लेने हेतु गये तो हल्का पटवारी ने राजस्व रेकर्ड देखकर बताया कि रेकर्ड में आपका नाम दर्ज नहीं है तो यह सुनकर वादीगण बड़े आश्चर्य चकित हुये और उन्होने कपने पिताध्दादाध्ससुर कल्याण उर्फ कल्याणसिंह जी की खातेदारी भूमि का समस्त राजस्व रेकर्ड जमाबंदी, खतौनी बंदोबस्त आदि की नकल तहसील कार्यालय से प्राप्त की तो वादीगण को जानकारी हुयी कि जमाबंदी हुयी कि जमाबंदी संवत् 2022 से 2025, 2026 से 2029 में कल्याण उर्फ कल्याणसिंह पुत्र रामा की खातेदारी दर्ज थी, तत्पश्चात खातेदार कल्याण उर्फ कल्याणसिंह जी का देहान्त संवत् 2029-2030 में हो गया लेकिन पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में कल्याण उर्फ कल्याणसिंह का उतराधिकारी का कोई फौतेदगी म्यूटेशन का स्वीकृत किये बीना ही जमाबंदी संवत् 2029 से 2032 में कल्याण उर्फ कल्याणसिंह का एकमात्र पुत्र राधाकिशन का नाम दर्ज कर दिया, जबकि उस समय खातेदार कल्याण उर्फ कल्याणसिंह के जायन्दा पुत्र प्रभूसिंह, भैरूसिंह, बालूसिंह मौजूद थे। तब वादीगण ने प्रतिवादीगण को राजस्व रेकर्ड में किये गये हेराफेरी का औलबा दिया तो प्रतिवादी संख्या-1 के पिता राधाकिशन ने विवादग्रस्त भूमि में नाम इन्द्राज कराने हेतु का आश्वासन दिया तथा प्रतिवादी संख्या-1 के पिता राधाकिशन ने विवादित भूमि का 1/4-1/4 हिस्से का नाप कर भूमि का कब्जा वादीगण को सुपुर्द कर दिया। अतः वादीगण अपने पिता/दादा/पडदादा/ससूर कल्याण उर्फ कल्याणसिंह जी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 173 रकबा 28 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

402 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 236 रकबा 23 बीघा 6 बिस्वा में जरिये उत्तराधिकार के तौर पर हक व हिस्सा है तथा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2029 से 2032 में दर्ज एकमात्र उत्तराधिकारी का नाम हटाकर अपने 1/4-1/4 हक व हिस्से की खातेदारी काश्तकारी घोषित कराने की अधिकारी है। ग्राम रामासनी तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 173 रकबा 28 बीघा 9 बिस्वा खसरा नम्बर 402 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 236 रकबा 23 बीघा 6 बिस्वा की खातेदारी कल्याण उर्फ कल्याणसिंह जाति दरोगा की थी, लेकिन प्रतिवादी संख्या-1 के पिता तथा नाजूकमतिवादी संख्या-2. 3 के दादा व प्रतिवादी संख्या-4 के ससुर व प्रतिवादी संख्या-5 के पिता राधाकिशन ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने पिता कल्याण उर्फ कल्याणसिंह का कोई फौतेदगी नामान्तरकरण को स्वीकृत कराये बीना ही जमाबंदी संवत् 2029 से 2032 में अपने आपको कल्याण उर्फ कल्याणसिंह का एकमात्र उत्तराधिकारी होना बताकर राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज करवा दिया और उस गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर खसरा नम्बर 173 रकबा 28 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 402 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा कुल खसरा नम्बर 2 कुल रकबा 37 बीघा 15 बिस्वा की सम्पूर्ण भूमि का पहला बख्शीशनामा दिनांक 18.09.2018 को अपने पुत्र महेन्द्रसिंह, रमेशकुमार के पक्ष में करवा दिया। इसी प्रकार खसरा नम्बर 236 रकबा 23 बीघा 6 बीस्वा में से 10 बीघा 6 बिस्वा भूमि का दूसरा बख्शीशनामा दिनांक 18.09.2018 को अपने पुत्र महेन्द्रसिह, रमेशकुमार के पक्ष में करवा दिया। इसी प्रकार खसरा नम्बर 236 रकबा 23 बीघा 6 बिस्वा में से 13 बीघा का तीसरा बख्शीशनामा दिनांक 18.09.2018 को अपनी पुत्री उमा के पक्ष में निष्पादित करवा दिया। जबकि राधाकिशन पुत्र कल्याण उर्फ कल्याणसिह को वादीगण का 3/4 वाँ हिस्सा का बख्शीश करने का कोई अधिकार निहित नही था। अतः राधाकिशन पुत्र कल्याण उर्फ कल्याणसिंह द्वारा किया गया प्रतिवादी संख्या-1 महेन्द्रसिंह व प्रतिवादी संख्या 2, 3 के पिता व प्रतिवादी सख्या-4 के पति रमेश कुमार तथा प्रतिवादी संख्या-5 उमा को बख्शीशनामा वादीगण के हिस्से के लिए अवैध है तथा उस तीनों अवैध बख्शीशनामा से प्रतिवादी संख्या-1 से 5 को कोई अधिकार हासिल नहीं होते है तथा अवैध तीनों बख्शीशनामा दिनांक 18.09.2018 वादीगण के हितों के विरूद्ध बेअसर है। अतः वादीगण अवैध बख्शीश के आधार पर प्रतिवादी संख्या-1 से 4 की भूमि खसरा नम्बर 173 रकबा 28 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 402 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 37 बीघा 15 बिस्वा में से 3/4 वी हिस्से की 28 बीघा 6 बिस्वा को तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की भूमि खसरा नम्बर 236 रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा में से 3/4 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी सख्या-5 की भूमि खसरा नम्बर 236 रकबा 13 बीघा में से 3/4 वाँ हिस्सा यानि कुल 17 बीघा 9.46 बिस्वा भूमि को कम करवा कर वादीगण अपने नाम की खातेदारी में इन्द्राज कराने के अधिकारी है। राजस्व रेकर्ड में जमाबंदी संवत् 2029 से 2032 में किसी प्रकार का परिवर्तन केवल म्यूटेशन के आधार पर ही किया जा सकता है एवं म्यूटेशन किसी न्यायालय का निर्णय, डिक्री, आदेश अथवा बेचान हस्तान्तरण के आधार पर ही स्वीकृत्त किया जा सकता है। मौजूदा मामले में पूर्व खातेदार कल्याण उर्फ कल्याणसिंह पुत्र रामा का कोई फौतेदगी नामान्तरकरण राजस्व रेकर्ड में स्वीकृत नही किया गया है तथा हल्का पटवारी ने बीना

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

CamScanner

आधार एवं अनाधिकृत तोर से जमाबंदी संवत् 2029 से 2032 में कल्याण उर्फ कल्याणसिंह का एक पुत्र मानकर राधाकिशन का नाम दर्ज कर दिया गया है, जबकि उस समय कल्याण उर्फ कल्याणसिंह के तीन पुत्र प्रभूसिंहय, भैरूसिंह, बालूसिंह मौजूद थे। अतः वादीगण का हक व हिस्सा जन्म से है तथा वादीगण अपने पिताध्दादाध्ससुर कल्याण उर्फ कल्याणसिंह की पैतृक खातेदारी भूमि को घोषित कराने के अधिकारी है। वादीगण को राजस्व रेकर्ड में किये गये गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाने के लिए घोषणा खातेदारी का अपना 3/4 वां हिस्से का बंटवाड़ा के लिए तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दावा पेश करना पड़ रहा है। वाद कारण विवादग्रस्त पैतृक भूमि खातेदारी की होने से तथा -संवत् 2029-2030 को कल्याण उर्फ कल्याणसिंह के देहान्त के बाद बीना आधार के जमाबंदी संवत् 2029-2032 में खातेदार कल्याण उर्फ कल्याणसिंह का एक पुत्र मानकर राधाकिशन का नाम इन्द्राज कर देने पर तथा प्रतिवादी संख्या-1 का पिता तथा प्रतिवादी संख्या 2, 3 के दादा व प्रतिवादी संख्या-4 कमले ससुर व प्रतिवादी संख्या-5 के पिता राधाकिशन द्वारा दिनांक 18.09.2018 को प्रतिवादी सख्या-1 महेन्द्रसिंह व प्रतिवादी संख्या-2, 3 के पिता व प्रतिवादी संख्या-4 के पति रमेश कुमार को भूमि खसरा नम्बर 173 रकबा 28 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 402 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा की सम्पूर्ण भूमि का बख्शीशनामा कर देने पर तथा उस अवैध बख्शीशनामा दिनांक 18.09.2018 के आधार पर नामान्तरकण संख्या-1250 स्वीकृत करने पर तथा इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या-1 के पिता तथा प्रतिवादी संख्या-2, 3 के दादा व प्रतिवादी संख्या-4 के ससुर व प्रतिवादी संख्या-5 के पिता राधाकिशन द्वारा दिनांक 18.09.2018 को दूसरा बख्शीशनामा प्रतिवादी संख्या-1 से 4 के पक्ष में भूमि खसरा नम्बर 236 रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा का तथा इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या-1 के पिता तथा प्रतिवादी संख्या 2, 3 के दादा व प्रतिवादी संख्या-4 के ससुर व प्रतिवादी संख्या-5 के पिता राधाकिशन द्वारा दिनांक 18.09.2018 को तीसरा बख्शीशनामा प्रतिवादी संख्या-5 के पक्ष में भूमि खसरा नम्बर 236 रकबा 13 बीघा का निष्पादित कर देने पर तथा इस तीनों अवैध बख्शीशनमा के आधार पर वादीगण के 3/4 वां हक व हिस्से की भूमि पर दखल करने पर ग्राम रामासनी तहसील बिलाड़ा पैदा हुआ।

अन्त में निवेदन है कि ग्राम रामासनी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 173 रकबा 28 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 402 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा, कुल खसरा-2 कुल रकबा 37 बीघा 15 बिस्वा में वादी संख्या-1 का 1/4 वां हिस्सा तथा 1/4 वां हिस्सा वादी संख्या-2 से 3 का तथा 1/4 वां हिस्सा वादी संख्या-4 से 19 का खातेदारी काश्तकारी का घोषित फरमाया जावें। वादीगण के हिस्से का बाई मीटस एण्ड बाऊण्डस बंटवाड़ा किया जाकर खसरा नम्बर 173 रकबा 28 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 402 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा में से 3/4 वां हिस्सा (यानि वादीगण की 28 बीघा 06 बिस्वा) भूमि अलग से वादीगण की खातेदारी में दर्ज की जावे । खातेदार राधाकिशन पुत्र कल्याण उर्फ कल्याणसिंह ने विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 173 रकबा 28 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 402 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 37 बीघा 15 बिस्वा का दिनांक 18.09.2018 को प्रतिवादी संख्या-1 महेन्द्रसिंह व प्रतिवादी संख्या-2.3 के पिता व प्रतिवादी संख्या-4 के पति रमेश कुमार के

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

हक में सम्पूर्ण बख्शीशनामा निष्पादित कर दिया, जो बख्शीशनामा वादीगण के 3/4 वां हिस्से तक का बेअसर घोषित फरमाया जावे तथा नामान्तरकरण सख्या-1250 निरस्त' फरमाया जावें। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की भूमि खसरा नम्बर 173 रकबा 28 बीघा 9 बिस्वा (4.6032 हैक्टेयर), खसरा नम्बर 402 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा (1.5047 हैक्टेयर) कुल खसरा 2 कुल रकबा 37 बीघा 15 बिस्वा (6.1079 हैक्टेयर) में से 3/4 वां हिस्सा यानि 28 बीघा 6 बिस्वा (4.5807 हैक्टेयर) भूमि को राजस्व रेकर्ड में से कम किया जाने का आदेश फरमायें। ग्राम रामासनी तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 236 रकबा 23 बीघा 6 बिस्वा में वादी संख्या-1 का 1/4 वाँ हिस्सा तथा 1/4 वां हिस्सा वादी संख्या-2, 3 का तथा 1/4 वां हिस्सा वादी संख्या-4 से 19 का खातेदारी काश्तकारी का घोषित फरमाया जाये। वादीगण के हिस्से का बाई मीटस एण्ड बाऊण्डस बंटवाड़ा किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 236 रकबा 23 बीघा 6 बिस्वा में से 3/4 वां हिस्सा (यानि 17 बीघा 9.46 बिस्वा) भूमि अलग से वादीगण की खातेदारी में दर्ज की जावे। खातेदार राधाकिशन पुत्र कल्याण उर्फ कल्याणसिंह ने विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 236 रकबा 23 बीघा 6 बिस्वा में से 10 बीघा 6 बिस्वा का दिनांक 18.09.2018 को प्रतिवादी संख्या-1 महेन्द्रसिंह व प्रतिवादी संख्या-2,3 के पिता व प्रतिवादी संख्या-4 के पत्ति रमेश कुमार के हक में बख्शीशनामा निष्पादित कर दिया, जो ख्शीशनामा वादीगण के 3/4 वां हिस्से तक का बेअसर घोषित फरमाया जावे। तथा नामान्तरकरण संख्या-1250, 1251 निरस्त फरमाया जावे। इसी प्रकार खातेदार राधाकिशन पुत्र कल्याण उर्फ कल्याणसिंह ने विवाद्ग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 236 रकबा 23 बीघा 6 बिस्वा में से 13 बीघा का दिनांक 18.09.2018 को प्रतिवादी संख्या-5 उमा के हक में बख्शीशनामा निष्पादित कर दिया, जो बख्शीशनामा वादीगण के 3/4 वां हिस्से तक का बेअसर घोषित फरमाया जावे तथा नामान्तरकरण संख्या-1251 निरस्त फरमाया जावे। प्रतिवादी संख्या-1 से 4 की भूमि खसरा नम्बर 236 रकबा 23 बीघा बिस्वा में से 3/4 वां हिस्सा यानि 1.2498 हैक्टेयर की तथा प्रतिवादी संख्या-5 की भूमि खसरा नम्बर 236/1 रकबा 13 बीघा में से 3/4 वां हिस्सा यानि 1.5774 हैक्टेयर की भूमि को राजस्व रेकर्ड में से कम किया जाने का आदेश फरमावे। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि वो वादीगण के हिस्से एवं बंट की भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे तथा न ही अन्य किसी से करावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 5 व 7 की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार पटेल अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया जिसे शामिल किया गया। वादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सपठित धारा 151 सीपीसी पर कोई आपति नहीं जताने पर प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रेम पत्नी देयाराम जाति जाट निवासी भाटों की ढाणी तहसील बिलाडा को प्रतिवादी सं. 7 के रूप में संयोजित किया जाता है। वादीगण अधिवक्ता द्वारा संशोधित वादपत्र शीर्षक पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। वादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश कर

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

CS CamScanner

कथन किया कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण के बीच आपसी समझाईश से एवं लोक अदालत की भावना से विवादित भूमि खसरा नंबर 173, 402, 236 का राजीनामा हो गया है। इस कारण 236 वादीगण बंटवाडा का अनुतोष दावे में प्राप्त नहीं करना चाहते है। वादीगण द्वारा उपरोक्त अनवान के राजस्व वाद में बंटवाडा का अनुतोष हटाया जाने का निवेदन किया है। वादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी को राजीनामा हो जाने के कारण स्वीकार किया जाकर उपरोक्त अनवान में से बाबत बंटवाडा का अनुतोष को हटाया जाता है। वादीगण तथा प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया जिसके संक्षेप में कथन है कि ग्राम रामासनी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा सं. 173 रकबा 28 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 402रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 236 रकबा 23 बीघा 6 बिस्वा कुल खसरा 3 कुल रकबा 61 बीघा 1 बिस्वा स्थित है। उपरोक्त भूमि वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 1 से 5 की पुश्तैनी भूमि है। वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 1 से 6 के बीच आपसी समझाईश से एवं लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है तथा वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 1 से 6 ने राजीनामा में यह तय किया है कि ग्राम रामासनी तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नंबर 173 रकबा 28 बीघा 9 बिस्वा में से 4 बीघा भूमि वादी सं. 2 पाबूसिंह के हक व हिस्से की पूर्वी दिशा की तरफ रखना तय किया है। इसी प्रकार ग्राम रामासनी तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नंबर 402 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा की सम्पूर्ण भूमि वादी सं. 1 प्रभुसिंह व वादी सं. 4 बंशीसिंह के हक व हिस्से की रखना तय किया है। इसी प्रकार ग्राम रामासनी तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नंबर 236 रकबा 23 बीघा 6 बिस्वा की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 4 के हक व हिस्से की रखना तय किया है। उपरोक्त खातेदारी भूमि में खसरा नंबर 173, 402, 236 में वादी सं. 3, 5 से 19 तथा प्रतिवादी सं. 5 का कोई हक व हकूक नहीं रखना तय किया है। राजीनामा के साथ खसरा नंबर 173 का नजरी नक्शा को पेश किया गया है, जो इस राजीनामा का अभिन्न अंग समझा जावे। इस प्रकार राजीनामा में तय शर्त के अनुसार वादीगण तथा प्रतिवादीगण विवादित भूमि को लेकर कोई वाद विवाद उज्र एतराज आदि नहीं करेगें। अगर भविष्य में वाद विवाद आदि का क्लेश आदि का किया जाता है तो इस राजीनामा के अनुसार बैअसर एवं निष्प्रभावी होगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

पत्रावली में प्रस्तुत राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण उपस्थित दोनो ही पक्षों को राजीनामा पढकर सुनाया गया, दोनो ही पक्षों ने राजीनामा सही होना स्वीकार किया। अतः राजीनामा तस्दीक किया जाता है। वादीगण की पहचान वकील श्री गणपतलाल चौधरी व प्रतिवादीगण की पहचान वकील राजेन्द्र प्रसाद पटेल ने की। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया एवं कोर्ट की भावना से उक्त राजीनामें के आधार पर वाद को डिक्री किये जाने की प्रार्थना की। वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को पूर्व में तस्दीक किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण ने राजीनामा में अपनी सहमति के संबंध में स्वयं उपस्थित होकर आदेशिका पर सहमति बाबत अपने हस्ताक्षर कियें। पत्रावली में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही। दोनो पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वादीगण का दावा स्वीकार किये जाने

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

योग्य होने से वादीगण का दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार राजीनामा के अनुसार राजस्व ग्राम रामासनी तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नंबर 173 रकबा 28 बीघा 9 बिस्वा में से 4 बीघा भूमि वादी सं. 2 पाबूसिंह के हक व हिस्से की पूर्वी दिशा की तरफ, इसी प्रकार खसरा नंबर 402 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा की सम्पूर्ण भूमि वादी सं. 1 प्रभुसिंह व वादी सं. 4 बंशीसिंह के हक व हिस्से में, इसी प्रकार खसरा नंबर 236 रकबा 23 बीघा 6 बिस्वा की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 4 के हक व हिस्से में, उपरोक्त खातेदारी भूमि में खसरा नंबर 173, 402, 236 में वादी सं. 3, 5 से 19 तथा प्रतिवादी सं. 5 का कोई हक व हकूक नहीं रखना तय किया है। उपरोक्त राजीनामा के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। राजीनामा के साथ खसरा नंबर 173 का नजरी नक्शा को पेश किया गया है, जो इस राजीनामा का अभिन्न अंग समझा जावे। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। राजीनामा को निर्णय का हिस्सा पढा जावे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक ०८।०९।१५ को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा